मालिक से फिर चोर बन गए हैं तवा के विस्थापित आदिवासी

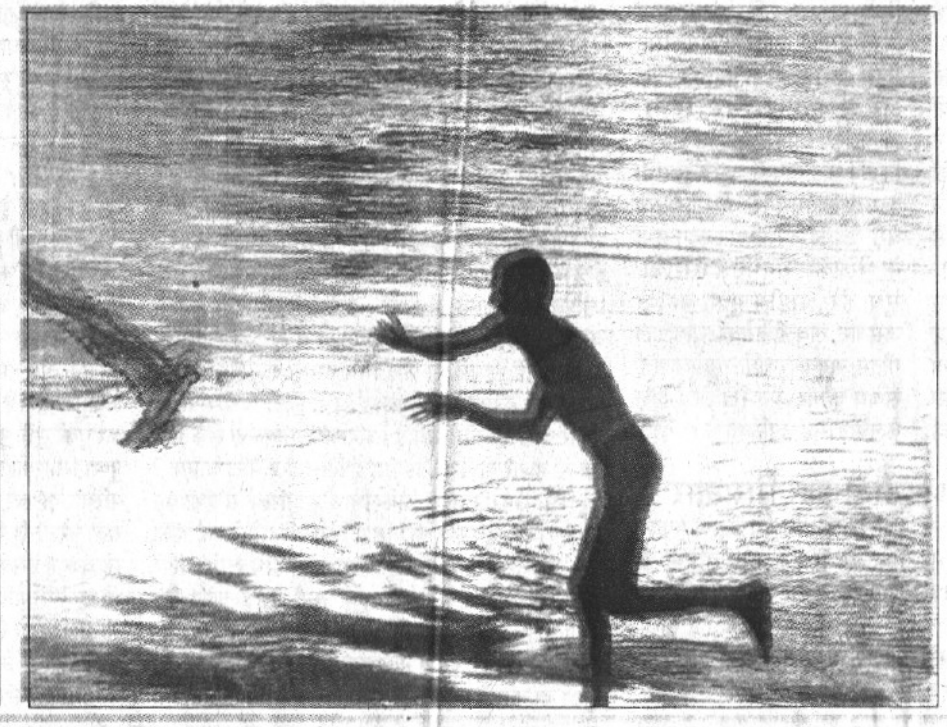

बाबा मायाराम

लगभग 14 साल पुरानी बात है। तवा जलाशय से विस्थापित मादीखोह गांव का आदिवासी युवक सब्बूलाल सब्जी के लिए जलाशय में मछली पकड़ने गया था। पर ठेकेदार के आदमियों ने उसे मछली चोरी के जुर्म में उसे पकड़ लिया। उससे मछली छुड़ा ली और इस हिदायत के साथ छोड़ा कि वह कभी जलाशय में कदम नहीं रखेगा। लेकिन बीच में स्थिति बदली। सब्बूलाल तवा जलाशय का मालिक बन गया। वह तवा मत्स्य संघ का अध्यक्ष बना। विस्थापित आदिवासियों को मछली का अधिकार मिल गया।

विशेष रिपोर्ट

दस साल तक इस मछुआ सहकारिता ने शानदार काम किया जिसकी काफी सराहना हुई। प्रधानमंत्री द्वारा गठित टाईगर टास्क फोर्स ने भी जलाशय में स्थानीय लोगों की भागीदारी की काफी तारीफ की है। विस्थापित आदिवासियों के इस अनूठे और सफल सहकारिता के प्रयोग ने ख्याति राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर अर्जित कर ली है। स्थानीय समुदायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंध की एक शानदार मिसाल कायम की है जिसकी चर्चा काफी होती रही है। लेकिन अब इसमें अवरोध पैदा किया जा रहा है। तवा जलाशय को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में शामिल कर लिया गया। इसमें मछली मारने पर रोक लग गई है। एक बार फिर विस्थापित आदिवासी फिर विस्थापित हो रहे हैं, अगर वे मछली पकड़ते है तो चोर समझा जा रहा है। (बाकी पेज 8 पर)

मालिक से फिर चोर बन गए हैं

आखिरकार, सरकार को वर्ष 1996 में इन विस्थापितों को तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार देना पड़ा। इस काम को करने के लिए आदिवासी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पहले ही विस्थापितों को 33 मछुआरा समितियों का गठन कर लिया था। एक समिति में 20 से लेकर 60 सदस्यों को रखा गया। समितियों में उन्हीं सदस्यों को लिया गया, जो तवा बांध से विस्थापित थे या उससे प्रभावित हैं। इन समितियों में 1200 सदस्य हैं, जिसमें 90 प्रतिशत आदिवासी हैं। समितियों को मिलाकर तवा विस्थापित आदिवासी मत्स्य उत्पादन एवं विपणन संघ बनाया गया। संघ का पंजीयन होने के बाद ही प्रदेश सरकार से करार हुआ। इस करार के मुताबिक आदिम जाति कल्याण विभाग ने मत्स्य संघ को अपना कामकाज प्रारंभ करने के लिए 6 लाख रूपये दिए।

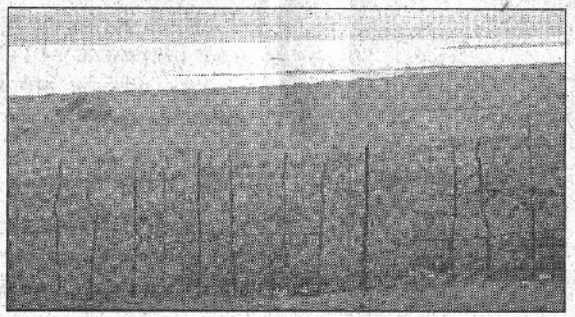

इस काम को व्यवस्थित करने के लिए केसला में ताकू रोड पर मत्स्य संघ का कार्यालय व मछली डिपो बनाया गया। यहीं से सभी गतिविधियों का संचालन किया जाता था। मछुआरा महासंघ सहकारी समितियों में मछली खरीदता और बेचता था। तवा जलाशय के किनारे तीन तौल केन्द्र बंगलापुरा, टेकापार और तवानगर में बनाए गए। संघ के कर्मचारी इन तौल केंद्रों में मछली तुलवा लेते है और समितियों के कार्ड (कैच कूपन) पर इसका वजन नोट कर लेते थे।

साथ ही संघ के रजिस्टर में इसे दर्ज कर देते है, जहां से स्थानीय व बाहरी मंडियों में मछलियां भेजी जाती थी। संघ की 50 प्रतिशत मछलियों की खपत स्थानीय और 50 प्रतिशत मछलियों की खपत बाहरी मंडियों में होती थी। यहां की मछलियां हावड़ा, दिल्ली, लखनट, भुसावल की मंडियों में बिकने के लिए जाती थी। डिपो से भी दैनिक उत्पादन रजिस्टर में मछली का विवरण रखा जाता था और उसकी एक प्रति मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को दे दी जाती थी। इसके आधार पर संघ सरकार को रायल्टी का ड्राट प्रदान करता है। पिछले 9 वर्षों में संघ द्वारा अब तक 1 करोड़ 18 लाख रूपए महासंघ को भुगतान कर चुका है। इसके अलावा, मछुआरा को भी साप्ताहिक भुगतान किया जाता है। लेकिन इस मछुआ सहकारिता के अनुबंध को नहीं बढ़ाया जा रहा है। आदिवासी एक बार फिर आंदोलित हुए। उन्होंने अपने जीवन पर आए संकट के खिलाफ एक माह (24 नवंबर से 23 दिसंबर, 2006) तक सद्बुद्धि सत्याग्रह चलाया। वे रोज जिला मुख्यालय में आते थे और जुलूस बनाकर सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के डायरेक्टर के दफतर में जाते थे। और भगवान से प्रार्थना करते थे कि वह इन अफसरों और सरकार को सद्बुदि दे। जुलूस के पहले वे नर्मदा नदी में स्नान कर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाते थे। और ये आदिवासी अपने अंगूठे दस्तख्वात से एक ज्ञापन भी सौंपते थे कि यहां के जल, जंगल, जमीन पर उनका हक है। और जीवन पर वनविभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, वह गलत हैं। इसे उन्होंने सद्बुद्धि सत्याग्रह का नाम दिया। लेकिन वनविभाग और सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। तवा जलाशय को अभयारण्य का हिस्सा होने का बहाना करके मछली पर रोक लगाई गई है। जबकि 2004 में होशंगाबाद के तत्कालीन कलेक्टर श्री कंसोटिया ने तवा जलाशय को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से बाहर रखने का निर्णय दे दिया था। यह अलग बात है कि वनविभाग ने इस पर ऐतराज जताया। तवा जलाशय में आज क्या चल रहा है, इस बारे में सारंगपुर